राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 1186/2013/उदयपुर
2. अपील संख्या 1187/2013/उदयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–पंचम, वृत सी, उदयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स वेस्टर्न केयर, उदयपुर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :
श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री अभिषेक अजमेरा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 04.05.2018

निर्णय

1. यह दोनों अपीलें अपीलार्थी विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 197 व 198/वैट/11–12 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 27.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट पंचम, वृत–सी, उदयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2011 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23, 26, 55 व 58 के तहत प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। मांग राशियों का विवरण निम्न तालिकानुसार है :–

अ.सं.	क0नि0वर्ष	कर	ब्याज
1186/13	2006–07	7,466	4,480
1187/13	2007–08	22,054	13,232

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा चिकित्सकीय प्रयोग में लिये जाने वाले आइटम्स Mattress तथा Sutures & Stapler का क्रय विक्रय किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन पर पाया कि प्रत्यर्थी द्वारा खरीदी एवं बेची जा रही उक्त सामग्री प्रविष्ठी संख्या 43 एवं 86 में समाहित नहीं होने से सामान्य कर दर पर कर योग्य है अतः इन पर अन्तर कर एवं ब्याज आरोपित किया गया। इन आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें

निरन्तर.....2

प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को आंशिक स्वीकार करके Sutures & Stapler पर आरोपित अतिरिक्त कर को अपास्त किया है। उक्त आदेशों के विरूद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत विभाग द्वारा ये दोनों अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित रूप से मांग राशियों का आरोपण किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा खरीदी एवं बेची जा रही सामग्री प्रविष्ठी संख्या 43 एवं 86 में समाहित नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित रूप से कर एवं ब्याज आरोपित किया गया, अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि Sutures & Stapler जो कि एक सर्जिकल आईटम्स हैं जो कि उपचार के दौरान जोड़ने के काम आते हैं। दोनों मेडिकेटेड होते है तथा उक्त आईटम ड्रग एक्ट में कवर्ड हैं, अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा अपने समर्थन में अतिरिक्त आयुक्त (VAT & IT) द्वारा धारा 36 के अंतर्गत मै0 निखिल इन्टरनेशनल, जयपुर के प्रकरण में किये गये विनिश्चयन दिनांक 14.12.2009 का उद्धरण प्रस्तुत किया गया है।

5. उभयपक्षीय बहस सुनी तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। इस संबंध में प्रश्नगत आइटम्स– Sutures & Stapler(staples) की प्रकृति एवं उपयोग की जानकारी करना आवश्यक है। इस संबंध में इन्टरनेट पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि Sutures का प्रयोग जख्म या घाव के टांका लगाने (to stitch the wound) हेतु किया जाता है तथा Staples भी इसी प्रयोग हेतु काम में आने वाला मेटेरियल है। इस हेतु राजस्थान वैट अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्टि संख्या 43 एवं 86 उल्लेखनीय हैं, जो निम्नप्रकार हैं :–

S.No.	Description of goods	Rate of Tax %
43	Drug and medicines including vaccines, syringe and dressings, medicated ointment produced under drugs licence, light liquid paraffin of IP grade.	4%
86	Medical equipment/devices and implants.	4%

प्रश्नगत आइटम्स चिकित्सकीय dressings में प्रयोग में लिये जाते हैं तथा प्रविष्टि संख्या 43 में syringe and dressings भी शामिल है तथा dressings एक ही आइटम न होकर इसमें घाव के उपचार हेतु पट्टी बांधने में काम आने वाले विभिन्न आइटम्स शामिल हो सकते हैं। चूंकि Sutures & Staples का प्रयोग जख्म या घाव के टांका लगाने

निरन्तर.....3

हेतु धागे के रूप में काम में लिया जाता है अतः इसे dressings मद के अंतर्गत ही माना जायेगा, तथा इन आइटम्स पर 4 प्रतिशत कर दर से ही कर देय है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा इन आइटम्स पर कर दर 4 प्रतिशत निर्णीत करने में कोई त्रुटि नहीं की है, अतः अपीलीय आदेश पुष्टि योग्य है।

6. परिणामतः अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए राजस्व की उक्त दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

7. निर्णय सुनाया गया ।

04.05.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य